सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 23, बुधवार, *शाके 1946*-अगस्त 14, *2024* *Sravana 23, Wednesday, Saka 1946- August 14, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 04, 2024

संख्या प. 2(35)वन/2024 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूकि सरकार उपर्युक्त वनभूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अंतर्गत रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व नही किये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्है लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ओफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्है लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11, (1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विषेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव प्रडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त सरंक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज.पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना

अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न - प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण	रकबा विवरण			
					ग्राम	खसरा नं0	रकबा (है0)	किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खुर्दिया मैन	सरमथुरा	धौलपुर	पूर्व - ग्राम झाला की राजस्व चारागाह भूमि पश्चिम - ग्राम झाला की राजस्व भूमि उत्तर - ग्राम झाला की राजस्व भूमि दक्षिण -ग्राम झाला की राजस्व भूमि	झाला (लीलौठी)	449/15 योग महायोग	2.92 2.92 2.92	गैर मुमकिन पहाड़

हस्ताक्षर

राजेश मीणा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सरमथुरा।

हस्ताक्षर

वी. चेतन कुमार,
उप वन संरक्षक,
धौलपुर।

द्वितीय अनुसूची

संरक्षित वृक्ष

क्र.सं.	**वैज्ञानिक नाम**	**हिन्दी नाम**
1	Azadirachita indica	नीम
2	Senegalia Catechu	गोया खैर
3	Acacaia nilotica	देशी बबूल

हस्ताक्षर

राजेश मीणा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सरमथुरा।

हस्ताक्षर

वी. चेतन कुमार,
उप वन संरक्षक,
धौलपुर।

परिशिष्ट-'क'

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र
(जो लागू नहीं होता उसे काट दें)

वनखण्ड- खुर्दिया मैन
रेंज- सरमथुरा
वनमण्डल- धौलपुर

1. संलग्न प्रारूप में दर्षाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर मुमकिन पहाड़ है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत रूप से खसरा नंबरों का विवरण दर्षाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में क्रमशः निल प्लांटेशन हैं। इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए हैं। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों गोमा खैर, देशी बबूल का लगभग प्रतिषत 5 प्रतिषत है तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व बंजर भूमि है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्षे) संलग्न हैं एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्षे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप तथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण हैं। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अंतर्गत शासकीय गजट प्रकाशन होना नितान्त होना आवश्यक है। जिससे कि इन वन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाषन नहीं हुआ है।
9. उक्त भूमि एफ.सी.ए. प्रस्ताव जनपद धौलपुर के डांग क्षेत्र के गांवों को पेयजल हेतु पाइपलाइन से 2.92 है0 के विरूद्ध प्राप्त गैर वन भूमि 2.92 है0 है।
10. 1 हैक्टेयर त्र 3.9537 बीघा

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
राजेश मीणा,	**वी. चेतन कुमार,**
क्षेत्रीय वन अधिकारी,	**उप वन संरक्षक,**
सरमथुरा।	**धौलपुर।**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।